भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1744
29.07.2026 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड्स में संशोधन

1744. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः
श्री कोडिकुन्नील सुरेशः
श्री श्रेयस एम. पटेलः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दलीय सीमाओं से परे संसद सदस्यों से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत वार्षिक आवंटन को वर्तमान 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये या 25 करोड़ रुपये प्रति वर्ष करने की मांग करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान आवंटन की क्रय शक्ति, जो वर्ष 2011-12 से अपरिवर्तित रही है, पर मुद्रास्फीति, निर्माण सामग्री के थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि तथा टिकाऊ सामुदायिक अवसंरचना के निर्माण की बढ़ी हुई लागत के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो आवंटन में संशोधन न करने के कारणों सहित इस आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का स्थानीय विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एमपीलैड्स कोष को बढ़ाने हेतु आवधिक, मुद्रास्फीति-सूचकांकित तंत्र शुरू करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का निधि के कार्यान्वयन तथा उपयोग में सुधार लाने के लिए एमपीलैड्स के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) एमपीलैड्स आवंटन में वृद्धि के संबंध में सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा तथा तत्संबंधी निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) जी, हाँ। एमपीलैड्स निधि की वार्षिक पात्रता में संशोधन के लिए संसद सदस्यों से सुझाव प्राप्त हुए थे।

(ख) से (ङ) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सांसद को स्थानीय रूप से अनुभव की गई लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर विकासात्मक कार्यों की संस्तुति करने में सक्षम बनाना है, जिसमें व्यापक जनहित के लिए टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर बल दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत अनुमत कार्य सार्वजनिक और सामुदायिक अवसंरचना, सार्वजनिक सुविधाएँ, सुरक्षा और संरक्षा, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता सहित विभिन्न क्षेत्र समाहित हैं। यद्यपि इन क्षेत्रों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है, एमपीलैड्स का उद्देश्य ऐसी पहलों का प्रतिस्थापन अथवा दोहराव करना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर चिन्हित विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अंतिम-छोर तक पहुँच प्रदान करना और व्यवहार्यता संबंधी अंतरालों को दूर करके ऐसी पहलों का पूरक बनना है।

इसके अतिरिक्त ,उभरती विकास आवश्यकताओं के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत कार्यों के दायरे और प्रभाव को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्रीमंडल ने एमपीलैड्स को जारी रखने के लिए अनुमोदन देते हुए एमपीलैड्स का अधिक संख्या में केंद्रीय एवं राज्य की योजनाओं और स्थानीय निकायों की परियोजनाओं के साथ अभिसरण भी अनुमोदित किया । इसका उद्देश्य संयुक्त वित्तपोषण के माध्यम से बड़ी और अधिक प्रभावशाली परियोजनाओं के निष्पादन को सुगम बनाना है, जिससे योजना की समग्र प्रभावशीलता बढ़ेगी और संसद के सदस्यों को बिना दोहराव के अधिक व्यापक और जनहित के कार्यों की संस्तुति करने में सक्षम बनाया जाएगा।

समुदाय की बदलती विकास आवश्यकताओं के अनुरूप एमपीलैड्स दिशानिर्देशों को संरेखित करने और वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक योजना को जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उपायों को शामिल करने के लिए, मंत्रालय मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का संशोधन कर रहा है। संशोधित दिशा-निर्देशों में माननीय संसद सदस्यों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त व्यवहार्य सुझावों को, जहां भी ये सुझाव एमपीलैड योजना के उद्देश्यों के अनुरूप पाए जाते हैं, शामिल करने का प्रस्ताव है।

वर्तमान में, एमपीलैड्स वार्षिक आवंटन को बढ़ाने अथवा एमपीलैड्स निधि में वृद्धि हेतु आवधिक, मुद्रास्फीति-सूचकांकित तंत्र को लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, मंत्रालय विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए हितधारकों से प्राप्त नए सुझावों को निरंतर आधार पर प्राप्त कर उनकी जांच करता है, जिनमें एमपीलैड योजना के अधीन निधि की पात्रता के लिए संशोधन के सुझाव भी शामिल हैं।
